


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2013/आसाढ़ 17, 1935

No. 186]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2013/ASADHA 17, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

सं. 37(1)/2013/वन टाइम परमिशन/मेडि./19355.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 (एफए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और अनुप्रयोज्यता** : ये विनियम केवल अकादमिक सत्र 2013-14 के लिए मेडिकल कॉलेज में स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में वार्षिक प्रवेश क्षमता की वृद्धि विनियमावली, 2013 कहे जाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.102) के दायरे के अंदर आने वाले मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे।
2. **उद्देश्य** : वर्तमान मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना ताकि चिकित्सा शिक्षा के विनिर्धारित न्यूनतम मानकों पर समझौता किए बिना राष्ट्र में इष्टतम डॉक्टर जनसंख्या अनुपात प्राप्त करने हेतु मेडिसिन में मानव संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

3. **आवेदन करने के लिए पात्रता :** (1) वर्तमान मेडिकल कॉलेजों में वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड को उन संगठनों द्वारा आवेदन किया जा सकता है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। राजकीय और गैर-राजकीय स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन-पत्र का फार्मेट इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I में विनिर्धारित किया गया है।
- (2) इन विनियमों के अंतर्गत केवल ऐसे वर्तमान मेडिकल कॉलेज ही आवेदन करने के पात्र होंगे, जिनके पास केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभिक अनुमति पत्र प्रदान किए जाने की तारीख से न्यूनतम 10 वर्ष की स्टैंडिंग है और उनके द्वारा प्रदान की गई एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 {1956 का अधिनियम संख्या 102} की प्रथम अनुसूची में शामिल मानी गई है।
- (3) 50 से अधिक परंतु 100 से कम एमबीबीएस सीटों के वार्षिक प्रवेश वाले मेडिकल कॉलेज, एकबारगी उपाय के रूप में 100 तक की वार्षिक प्रवेश क्षमता की वृद्धि करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (4) 100 या इससे अधिक परंतु 150 से कम एमबीबीएस सीट की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज एकबारगी उपाय के रूप में 150 तक वार्षिक प्रवेश क्षमता की वृद्धि करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (5) ऐसे मेडिकल कॉलेज, जिन्हें मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 [दिनांक 16.04.2010 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित] के खंड 8(I)(3)(घ) अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र प्रदान नहीं की गई है और/या ऐसा व्यक्ति, जिसने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है, को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस द्वारा की गई किसी आपराधिक जांच-पड़ताल में सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।
4. **आवेदन करने की प्रक्रिया :** (1) पात्र संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड को आवेदन पत्र भेजेंगे। ऐसे संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड को यह वचन-पत्र देंगे कि अनुमति प्राप्त हो जाने पर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मानव संसाधन, भौतिक अवसंरचना और अपेक्षित अन्य संसाधन सुसंगत न्यूनतम मानक शर्त वार्षिक विनियमावली के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे/बढ़ाए जाएंगे।
- (2) सरकार के स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेजों के मामले में आवेदन पत्र राज्य सरकार/केंद्र शासित सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दिया जाएगा और इस आवेदन पत्र में मांगी गई वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाने की सहमति होगी।
- (3) गैर-सरकार के स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेजों के मामले में आवेदन पत्र मेडिकल कॉलेज का स्वामित्व और प्रबंधन करने वाले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सोसाइटी के प्रबंध न्यासी/न्यास/कंपनी द्वारा दिया जाएगा और इस प्रकार के आवेदन पत्र में संबद्ध विश्वविद्यालय से प्रवेश क्षमता की वृद्धि के लिए संबद्धन की सहमति, समयबद्ध कार्यक्रम और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों द्वारा विनिर्धारित बैंक गारंटी, राज्य सरकार/संघ शासित सरकार द्वारा जारी किया गया प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र होगा।
- (4) इस आवेदन पत्र के साथ, किसी अनुसूचित बैंक से, सरकारी मेडिकल कॉलेजों (केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन) के लिए 3.5 लाख रुपये और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 7.00 लाख रुपये शुल्क होगा, जिसका भुगतान सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।
- (5) अपूर्ण आवेदन पत्र, उन आवेदन पत्रों में कमियों का उल्लेख करते हुए अनुलग्नकों सहित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा आवेदन को लौटा दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में भुगतान किए गए आवेदन शुल्क के 25 प्रतिशत के प्रशासन प्रभार काट लिए जाएंगे और आवेदन शुल्क की शेष धनराशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। केवल पूर्ण आवेदन पत्र ही, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे।
- (6) स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में वार्षिक प्रवेश क्षमता की वृद्धि के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति का समय संबंधी कार्यक्रम, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-II के अनुसार होगा।
5. **अनुमति प्रदान करना :** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदक, आवेदन पत्र की संख्या पर अगले तदनुरूपी स्तर तक सीटों की वृद्धि के लिए और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया वचनपत्र विनिर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, 31 जुलाई, 2013 तक अनुमति पत्र स्वीकृत करेगा। अनुमति का तत्पश्चात नवीकरण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के वर्तमान विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/100/13]

डॉ. आर. पी. मीणा, सचिव

अनुसूची I

फार्म

(आवेदकों के लिए प्रस्तावित फार्म)

एमबीबीएस सीटों को से (कृपया वर्तमान प्रवेश क्षमता का उल्लेख करें) बढ़ाकर करने (कृपया वर्धित प्रवेश क्षमता का उल्लेख करें) के लिए आवेदक से प्राप्त किए जाने वाले वचनपत्र का प्रस्तावित फार्म

सेवा में,

सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड,

पॉकेट-14, सेक्टर-8,

द्वारका,

नई दिल्ली-110077

महोदय,

आवेदक (..... सरकार) या (सोसाइटी/न्यास/कंपनी का नाम)..... स्थान पर 50/100 एमबीबीएस सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज चला रही है। आवेदक के मेडिकल कॉलेज को.....दिनांक को केंद्र सरकार द्वारा आरंभिक पत्र या अनुमति प्रदान की गई है और आज की तारीख में इसने आरंभिक अनुमति पत्र प्रदान किए जाने की तारीख से अपनी स्टैंडिंग के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। आवेदक मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान की गई एमबीबीएस की शैक्षिक योग्यता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल है।

2. आवेदक(सरकार/ सोसाइटी/न्यास/कंपनी का नाम) या वार्षिक सीटों की इस क्षमता को बढ़ाकर करने का इच्छुक है।

3. आवेदक, यदि उसे सीटें बढ़ाकर करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमति के प्रथम या तत्पश्चात नवीकरणों के समय तक उक्त मेडिकल कॉलेज के मानव संसाधन और भौतिक अवसंरचना में विनियमों की शर्तों के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

4. आवेदक इस बात का विश्वास दिलाता है कि सुसंगत न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली का अनुपालन छात्रों के बैच को जारी रखने के लिए अनिवार्य है और यह छात्रों के हित में है। विनियमों की शर्तें पूरी करने में किसी विफलता की स्थिति में केंद्र सरकार/ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड कानून के अनुसार इस बात का हकदार होगा कि वह उस अनुमति को वापस ले सके/रद्द/निरस्त कर सके।

भवदीय,

(आवेदक)

टिप्पणी :

(i) कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आरंभिक पत्र या तत्पश्चात नवीकरण की विधिवत साक्ष्यांकित प्रति; और

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में आवेदक के मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान की गई एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता सहित राजपत्र की अधिसूचना/केंद्र सरकार के आदेश की विधिवत साक्ष्यांकित प्रति।

(ii) राज्य सरकार/संघ शासित सरकार के मामले में वचनपत्र पर मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(iii) गैर-सरकारी आवेदन पत्र के मामले में वचनपत्र 100/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर पर होना चाहिए और यह वचनपत्र सभापति/अध्यक्ष/कुलपति सोसाइटी/न्यास के प्रबंध न्यासी तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ इस वचनपत्र में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि:

(क) यह कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 के खंड 8(3)(1)(घ) की शर्त के अधीन रहा है; और

- (ख) मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस द्वारा आरंभ की गई किसी आपराधिक छानबीन में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। यह वचनपत्र किसी प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यकित होना चाहिए।

अनुसूची II

स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में वार्षिक प्रवेश क्षमता की वृद्धि के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति का समय संबंधी कार्यक्रम

क्रम सं.	प्रोसेसिंग का चरण	अंतिम तारीख
1.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा आवेदन पत्रों की प्राप्ति	15.07.2013
2.	अपूर्ण आवेदन पत्रों का लौटाया जाना	20.07.2013
3.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया जाना	31.07.2013

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2013

No. 37(1)/2013 (One Time Permission)/Med./19355.—In exercise of the power conferred by section 33(fa) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title, commencement and applicability.—(1) These Regulations may be called the Enhancement of Annual Intake Capacity in Undergraduate Courses in Medical College for the Academic Session 2013-14 only Regulations, 2013.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall be applicable to the Medical Colleges falling within the purview of the Indian Medical Council Act, 1956 [Act No. 102 of 1956].

2. Objective.—To enhance the intake capacity in the existing Medical Colleges so as to augment the human resources in medicine for attaining optimum Doctor-population ratio in the nation, without compromising on the prescribed minimum standards of medical education.

3. Eligibility to make application.—(1) The application for enhancement of annual intake capacity in the existing Medical Colleges may be made by the organizations that have established the Medical College to the Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India. The format of application for Government and non-governmental owned Medical College is prescribed in Schedule I appended to these Regulations.

(2) Only such existing Medical Colleges shall be eligible to apply under these Regulations that enjoy minimum ten years of standing from the date of grant of initial letter of permission by the Central Government and the MBBS qualification awarded by them stands included in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 [Act No. 102 of 1956].

(3) The Medical Colleges with an annual intake of 50 or more but below 100 MBBS seats shall be eligible to apply for enhancement for annual intake capacity to 100, as one-time measure.

(4) The Medical Colleges with an annual intake of 100 or more but below 150 MBBS seats shall be eligible to apply for enhancement for annual intake capacity to 150, as one-time measure.

(5) Such Medical Colleges that have not been granted letter of permission by the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India in accordance with clause 8 (1) (3) (d) of the Establishment of Medical College Regulations, 1999 [notified in the Official Gazette on 16.04.2010] and/or the person who has established the Medical College has been convicted by a Court of Competent jurisdiction in a criminal investigation initiated by the Central Bureau of Investigation or Police.

4. Procedure to make application.- (1) The eligible organizations shall make the application to the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India. Such Organizations shall give an Undertaking to the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India that on receipt of permission they shall ensure that the human resources, physical infrastructure and other resources required will be provided/augmented in accordance with the relevant Minimum Standard Requirement Annually Regulations.

(2) The application in the case of Government owned Medical Colleges shall be made by the Chief Secretary of the Government of State/Union Territory and such application shall contain the consent of affiliation from the affiliating University in respect of increase in annual intake capacity sought.

(3) The application in the case of non-government owned Medical Colleges shall be made by the Chairperson / Vice Chairperson / Managing Trustee of the Society / Trust / Company owning and managing the medical college and such applications shall contain the Essentiality Certificate for increase in intake capacity, issued by the Government of State/Union Territory, consent of affiliation for increase in intake capacity from the affiliating university, time bound programme, and Bank Guarantee as prescribed by the Regulations of the Medical Council of India.

(4) The application shall be accompanied by fee of Rs. 3.5 lakhs for the Government Medical Colleges (under Central and State Governments) and Rs.7.00 lakhs only for non-governmental Medical Colleges to be paid by Bank Draft drawn in favour of Secretary, Medical Council of India from a Scheduled Bank.

(5) Incomplete application shall be returned by the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India to the applicant alongwith enclosures stating the deficiencies in such applications. Administrative charges of 25% of the application fee paid in such cases would be deducted and the balance of application fee would be returned to the applicant. Only complete applications shall be processed by the Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India.

(6) The time schedule for receipt of application for enhancement of annual intake capacity in undergraduate courses shall be in accordance with the Schedule II appended to these Regulations.

5. Grant of Permission: The Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India shall on being satisfied that the applicant meets the prescribed norms for enhancement

of seats to the next corresponding level on the strength of application and undertaking furnished by the applicant, grant letter of permission by 31st July 2013. Subsequent renewal of permission shall be granted in accordance with the existing Regulations of the Medical Council of India.

Dr. R. P. MEENA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./100/13]

SCHEDULE I

FORM

(Suggested format for Applicants)

PROPOSED FORMAT OF UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM THE APPLICANT FOR ENHANCEMENT OF MBBS SEATS FROM _____ (Please specify existing intake capacity) to _____ (Please specify enhanced intake capacity)

To

The Secretary,
Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India
Pocket 14, Sector 8,
Dwarka,
New Delhi-110077.

Sir,

The applicant [Government of _____] or [Name of the Society/Trust/Company] is running the _____ Medical College at _____ with an annual intake capacity of 50/100 MBBS seats. The applicant's Medical College has been granted initial Letter or Permission by the Central Government on _____ and as on date it has completed ten years of Standing from the date of grant of initial Letter of Permission. The MBBS qualification awarded by the applicant Medical College is included in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956.

2. The applicant [Name of the Government/Society/Trust/Company] or _____ is desirous of increasing this capacity to _____ seats annually.

3. The applicant in case it is granted permission to enhance the seats to _____ would ensure that by the time of first and subsequent renewals of permission the human resources and physical infrastructure of the said Medical College would be augmented in accordance with the requirements of Regulations.

4. The applicant assures that the compliance with the relevant Minimum Standard Requirement Regulations is mandatory for continuation of the batch of students and is in the interest of students. In case of any failure to meet the requirements of the Regulations the Central Government / Board of Governors in super-session of the Medical Council of India would be entitled in law to withdraw/revoke/cancel such permission.

Yours faithfully,

[Applicant]

Note :

(i) Kindly enclose :

(a) duly attested copy of initial Letter of Permission and of subsequent renewals granted by the Central Government u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956; and

(b) duly attested copy of the Gazette notification/Order of the Central Government including the MBBS qualification awarded by the applicant's Medical College in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) The Undertaking in case of Government of State/Union Territory should be signed by the Chief Secretary.

(iii) The Undertaking in case of non-Governmental application should be on non-judicial stamp paper of Rs. 100 and should be made by President / Chairman /Vice Chancellor/ Managing Trustee of the Society/Trust and Managing Director of the Company. The Undertaking should inter alia state that:

(a) the College has not been subject to clause 8 (3) (1) (d) of the Establishment of Medical College Regulations, 1999; and

(b) the person establishing the Medical College has not been convicted by a Court of competent jurisdiction in a criminal investigation initiated by the Central Bureau of Investigation or Police. The Undertaking should be duly attested by a First Class Magistrate.

SCHEDULE II**TIME-SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ENHANCEMENT OF ANNUAL INTAKE CAPACITY IN UNDERGRADUATE COURSES**

S. No.	Stage of Processing	Last date
1.	Receipt of applications by the Board of Governors in Super-session of the Medical Council of India	15.07.2013
2.	Return of Incomplete application	20.07.2013
3.	Grant of Letter of Permission by the Board of Governors in Supersession of the Medical Council of India	31.07.2013